

न्यायालय-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
॥ पीठासीन अधिकारी पी.सी.आर्य ॥

व्यवहार वाद क्रं0-08बी / 2014

संस्थापन दिनांक-10.05.2010

फाइलिंग नंबर-230303000052009

मैसर्स एटलस साईकिल (हरियाणा) लिमिटेड
 प्लॉट नंबर-यू-16-17-21-22 इण्डस्ट्रीयल
 एरिया मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड
 (मध्यप्रदेश)
 द्वारा- वर्तमान अधिकृत अधिकारी
 मैसर्स एटलस साईकिल (हरियाणा) लिमि0
 मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश)
 लिमिटेड मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड
 (मध्यप्रदेश)

.....वादी

बनाम

1. मैसर्स चौधरी ब्रदर्स, मुकेश मार्केट सराफा
 बाजार लश्कर ग्वालियर
 द्वारा- प्रोप्राईटर विजय गर्ग

.....प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि0 ।
 प्रतिवादीगण द्वारा श्री अटलबिहारी टांक अधि0 ।

-- नि र्ण य --

(आज दिनांक **22.03.16** को घोषित किया गया)

1. वादी की ओर से उक्त वाद प्रतिवादी के विरुद्ध इन्वॉईसों की बकाया राशि 7,82,164/-रुपये की मय ब्याज वसूली हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी प्राईवेट लिमिटेड कंपनी है और प्रतिवादी साझेदारी फर्म है तथा दोनों के मध्य साईकिल एवं उसके पुर्जों के क्रय विक्रय का समव्यवहार मालनपुर स्थित इकाई से होता रहा है।
3. वादी का वाद स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक लिमिटेड कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस एटलस रोड सोनीपत हरियाणा में है और इस कंपनी की एक फैक्ट्री मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थापित है। मालनपुर स्थित इस इकाई में साईकिल एवं साईकिल के पुर्जों का निर्माण कार्य किया जाता है जिसका ट्रेड मार्क एटलस है। वादी द्वारा इन साईकिल एवं साईकिल के पुर्जों के क्रय विक्रय का कारोबार किया जाता है। प्रमेश तिवारी वादी फैक्ट्री के जनरल मैनेजर (एच0आर0) है। वह कंपनी

की ओर से विभिन्न न्यायालयों में दावा प्रस्तुत करने एवं अनुरक्षण करने तथा सभी न्यायालयीन कार्यवाही करने, साक्ष्य देने के लिये कंपनी की ओर से अधिकृत है। प्रतिवादी मैसर्स चौधरी ब्रदर्स साईकिल स्टोर के नाम से व्यवसाय करते हैं जो कि मुकेश मार्केट सराफा बाजार ग्वालियर में स्थित है। वादी की फैंक्ट्री से प्रतिवादी के प्रतिष्ठान की साईकिल एवं साईकिल के पुर्जों की सप्लाई की जाती रही है जिसके लिये प्रतिवादी का डीलरशिप कोड-535310 है और वादी से प्रतिवादी का करंट समव्यवहार चलता रहा है। प्रतिवादी की मांग के अनुसार वादी कंपनी की ओर से विभिन्न प्रकार की साईकिल एवं उसके पुर्जों की सप्लाई वादी कंपनी स्थित मालनपुर फैंक्ट्री से की गई जिसमें वादी कंपनी के करंट लेजर एकाउण्ट के मुताबिक प्रतिवादी की 17350406/- का माल सप्लाई किया गया है।

4. वादी द्वारा जो माल प्रतिवादी को सप्लाई किया गया उसके भुगतान के पेटे प्रतिवादी की ओर से 16568242/- रुपये का भुगतान वादी कंपनी को किया गया जिसमें से अंतिम भुगतान प्रतिवादी कंपनी की ओर से दिनांक 04.09.2006 को डी0डी0 नंबर- 433555 से कीमती पचास हजार रुपये का किया गया है। इसप्रकार प्रतिवादी द्वारा भुगतान धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वादी कंपनी के प्रतिवादी पर 782164/- रुपये बकाया निकलते हैं। जिसकी मांग वादी कंपनी द्वारा प्रतिवादी से कई बार की गई। तथा बकाया धनराशि के संबंध में वादी कंपनी ने प्रतिवादी कंपनी को नोटिस दिनांक 01.05.09 को दिया जिसकी रसीद क्रमांक-9213 दिनांक 02.05.2009 संलग्न है। इस नोटिस के बाद भी वादी कंपनी द्वारा प्रतिवादी से उपरोक्त धनराशि की मांग की लेकिन प्रतिवादी द्वारा आज तक कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। एवं उचित न्याय शुल्क अदा कर न्यायालयीन क्षेत्राधिकार में होने से वादी कंपनी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रतिवादी से वादी कंपनी को इन्वायसों की बकाया राशि मय ब्याज दिलाई जावे।

5. प्रतिवादी की ओर से संयुक्त जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए मूलतः यह अभिवचन किये हैं कि एटलस कंपनी का जनरल मैनेजर कौन है, इसकी जानकारी उसे नहीं है उसने वादी कंपनी से पूर्व में साईकिल के पुर्जों की डीलरशिप होना स्वीकार किया है किन्तु लंबे अरसे से हिसाब चुकता होने से डीलरशिप खतम होना कहा है। वादी ने गलत तथ्य वर्णित किये हैं। वादी का प्रतिवादी द्वारा भुगतान करने के संबंधमें किये गये तथ्य असत्य लिखे गये हैं दिनांक 04.09.06 को वादी के प्रतिवादी की ओर हिसाब करने पर 50,000/- रुपये निकलते थे जिसका भुगतान प्रतिवादी द्वारा वादी को डी0डी0 क्रमांक-433555 द्वारा दिनांक 04.09.06 द्वारा किया जा चुका है। न ही प्रतिवादी को वादी का कोई नोटिस प्राप्त हुआ। तथा दावा अवधि बाह्य है तथा प्रतिवादी कोई राशि अदा करने को जिम्मेदार नहीं है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतिरिक्त आपत्ति में भी दावा अवधि बाह्य होने के संबंध में बताया गया है। तथा कम न्याय शुल्क अदा किया गया है। तथा क्षेत्राधिकार के संबंध में भी आपत्ति की है। अतः वादी का दावा सव्यय निरस्त कर वादी से विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 5000/- रुपये दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

6. प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गई, जिन पर लिए गए निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित हैं:-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या प्रतिवादी फर्म द्वारा वादी कंपनी को सप्लाई किये गये माल के पेटे दिनांक 04.06.09 को डी0डी0 नंबर-433555 से 50 हजार रुपये अदा करने के उपरान्त प्रतिवादी फर्म पर माल सप्लाई की बकाया राशि 7821164/- रुपये रही थी?	प्रमाणित
2	क्या वादी कंपनी प्रतिवादी फर्म से उक्त रही बकाया राशि दावा दायरी दिनांक से 18 प्रतिशत ब्याज के	आंशिक प्रमाणित- छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मूलधन

	साथ पाने की अधिकारी है?	सहित अवशेष राशि पाने की वाद कंपनी अधिकारी है।
3	क्या वादी कंपनी का वाद सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यदि नहीं तो प्रभाव—	हाँ, सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत होने से प्रचलन योग्य है।
4	क्या वादी का वाद अवधि में है?	प्रमाणित
5	क्या वादी कंपनी द्वारा यह वाद प्रतिवादी फर्म को परेशान करने की नीयत से बकाया राश न निकलने के ऊपरान्त पेश किये जाने से प्रतिवादी फर्म विशेष क्षतिपूर्ति राशि 5000/-रुपये पाने की अधिकारी है?	अप्रमाणित
6	सहायता एवं व्यय?	निर्णय के पैरा-56 अनुसार प्रतिवादी वहन करेगा

अतिरिक्त वाद प्रश्न

7	क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?	हाँ
---	----------------------------------------------------------------	-----

:: सकारण निष्कर्ष ::

वाद प्रश्न क्रमांक-3 का निराकरण

7. उक्त वाद प्रश्न प्रतिवादी की ओर से वादोत्तर में की गई आपत्ति के आधार पर पूवाधिकारी द्वारा निर्मित किया गया था जिसके संबंध में वादोत्तर की कण्डिका-2 में वादी के इस अभिवचन को तो स्वीकार किया है कि वादी द्वारा मालनपुर में एटलस साईकिल एवं उसके पुर्जों का निर्माण किया जाता है किन्तु जनरल मैनेजर कौन है, उसे दावा प्रस्तुत करने या साक्ष्य देने का अधिकार है या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। यह वादी को ही सिद्ध करने का भार है। इस संबंध में वादी की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें तलविन्दरसिंह वा0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वादी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत लिमिटेड कंपनी है। उसकी एक फैक्ट्री मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थापित है। जो साईकिल एवं साईकिलों के पुर्जों का निर्माण करती है जिसका ट्रेड मार्क एटलस है। जो प्रमेश तिवारी फैक्ट्री के जनरल मैनेजर (एच0आर0) थे जिनकी ओर से दावा पेश किया गया था। प्रकरण में वादी कंपनी की ओर से विभिन्न न्यायालयों में दावा प्रस्तुत करने, अनुरक्षण करने और न्यायालय में कार्यवाही करने व साक्ष्य देने के लिये अधिकृत किया गया था जिसके संबंध में दस्तावेज प्र0पी0-1 व 2 वह बताता है। उसने पैरा-11 में यह स्वीकार किया है कि जो दस्तावेज प्रकरण में साक्ष्य में प्र0पी0-1 लगायत 13 पेश किये गये हैं उन पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। वाद पत्र उसके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और प्रमेश तिवारी, शिशुपाल सिंह, सतीशसिंह, अशोक राय व पवन कुमार नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। उक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित करने के लिये एवं पुनः बुलाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उसने जनवरी-2004 में मालनपुर स्थित एटलस फैक्ट्री में ज्वाइन किया था तब से वह मैनेजर के पद पर पदस्थ है। जब दावा पेश किया गया था उस समय प्रमेश तिवारी को अधिकार था। पैरा-12 में उसने प्र0पी0-1 व 2 के दस्तावेजों के संबंध में यह भी कहा है कि प्र0पी0-1 पर आई0डी0 चुघ के हस्ताक्षर हैं जो वर्तमान में कंपनी के डायरेक्टर हैं। और प्र0पी0-2 प्रमाणित प्रतिलिपि है। उसकी मूल प्रति के बारे में उसे पता नहीं है। प्र0पी0-2 पर उसके अधिकारों की

स्वीकारोक्ति के हस्ताक्षर न होना भी उसने स्वीकार किया है।

8. इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत एकमात्र खण्डन साक्षी विजय गर्ग प्र०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-1 में यह कहा है कि उसकी चौधरी ब्रदर्स के नाम से साईकिल की दुकान है जिसमें साईकिल विक्रय का वह व्यवसाय करता है। पैरा-2 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी दुकान के लिये एटलस साईकिल मालनपुर से साईकिल के कई पुर्जे कई वर्षों तक मंगवाये हैं। पैरा-11 में यह स्वीकार किया है कि वह करीब 20 वर्ष से उक्त व्यवसाय कर रहा है। और उसके यहाँ ज्यादातर एटलस साईकिल का काम होता है तथा वे एटलस मालनपुर से मंगाते थे। जबसे मालनपुर में वादी कंपनी स्थापित हुई है तभी से उनके यहाँ साईकिल और साईकिल के पुर्जों का समव्यवहार प्रारंभ हुआ था।

9. इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आदेश 30 नियम 1 सीपीसी के उपबंधों के संदर्भ में तर्क करते हुए यह कहा है कि वादी कंपनी रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। और कम से कम दो साझेदारों की ओर से दावा होना चाहिए था जो पेश नहीं किया गया है। जिस व्यक्ति ने दावा पेश किया है वह साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ है। तथा प्र०पी०-1 व 2 के दस्तावेज वादी ने प्रमाणित नहीं कराये हैं। तथा वा०सा०-1 को साक्ष्य के लिये अधिकृत किये जाने का मुख्यारनामा आम या खास वादी कंपनी के संचालक मण्डल की ओर से निष्पादित नहीं है। प्र०पी०-2 मूल नहीं है बल्कि सत्य प्रतिलिपि है और मूल को न तो पेश किया गया न ही तलब किया गया है। इसलिये सक्षम अधिकारी की ओर से ही दावा न होने से इसी आधार पर दावा निरस्ती योग्य है। और वाद प्रश्न वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जावे।

10. इस संबंध में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्याय दृष्टांत कमशः **गयाप्रसाद चेताराम (फर्म) विरुद्ध भगतचरण जीतमल 1982 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-230** पेश किया गया है जिसमें साझेदारी फर्म की ओर से वादप्रस्तुत होने की दशा में साझेदारी फर्म के पंजीयन को प्रमाणित करना आवश्यक बताया गया है। उसके अभाव में वाद प्रचलनयोग्य न होने का मार्गदर्शन दिया गया है। दूसरा न्याय दृष्टांत **अमरीक एवं अन्य विरुद्ध ज्वालाप्रसाद 1977 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-186** एवं तीसरा न्याय दृष्टांत **जयकुमार वीरेन्द्र कुमार जैन 1977 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-494** में भी इसी प्रकार के मार्गदर्शन दिये गये हैं कि यदि साझेदारी फर्म की ओर से दावा किया जाता है और फर्म पंजीकृत न हो तो वाद प्रचलन योग्य नहीं होगा। तथा तीनों ही न्याय दृष्टांत साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा-69 पर आधारित हैं।

11. इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह बताया गया है कि वादी पंजीकृत लिमिटेड कंपनी है और प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र की कण्डिका-1 के अभिवचनों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया है तथा प्रतिवादी साक्षी ने भी अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकारोक्ति की है तथा जिस समय दावा पेश किया गया था तब वादी कंपनी की ओर से प्रमेश तिवारी डिप्टी जनरल मैनेजर (एच०आर०) एटलस फ़ैक्ट्री मालनपुर गोहद जिला भिण्ड अधिकृत थे। इसलिये उनकी ओर से दावा पेश किया गया था जो वर्तमान में कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। मालनपुर इकाई बंद भी हो गई है अतः प्रतिवादी की आपत्ति बे-बुनियाद है और प्र०पी०-1 व 2 के दस्तावेज वा०सा०-1 से प्रमाणित होते हैं। अतः उक्त वाद प्रश्न वादी के पक्ष में निर्णीत किया जावे।

12. उक्त वाद मैसर्स एटलस साईकिल (हरियाणा) लिमिटेड की ओर से तत्समय अधिकृत अधिकारी के मार्फत प्रस्तुत किया गया था। मूल वाद दिनांक 04.09.09 को पेश किया गया था। तब प्रमेश तिवारी डिप्टी जनरल मैनेजर (एच०आर०) को अधिकृत किया गया था जिसका प्रस्ताव प्र०पी०-1 के रूप में अभिलेख पर पेश किया गया है। जो एटलस साईकिल (हरियाणा) लिमिटेड की ओर से पूर्णकालिक संचालक आई०डी० चुघ के द्वारा जारी किया गया था। तथा जो दिनांक 15 सितंबर-2009 का है।

13. आदेश 30 नियम 1 सीपीसी के उपबंध मुताबिक **-भागीदारों का फर्म के नाम से वाद लाना-** (1) कोई भी दो या अधिक व्यक्ति, जो भागीदारों की हैसियत में दावा करते हैं या दायी हैं और भारत में कारबार चलाते हैं, या उन पर उस फर्म के नाम से (यदि उसका कोई नाम हो) जिसके

कि ऐसे व्यक्ति वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के समय भागीदार थे, वाद ला सकेंगे या उस पर वाद लाया जा सकेगा और वाद का कोई भी पक्षकार ऐसे मामले में न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उन व्यक्तियों के जो वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के समय ऐसी फर्म के भागीदार थे, नामों और पतों का कथन ऐसी रीति से किया जाये और सत्यापित किया जाये जो न्यायालय निदिष्ट करे।

14. वादी की साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से आया है कि जिस प्रमेश तिवारी के माध्यम से वादी कंपनी की ओर से वाद प्रस्तुत किया गया था वह नौकरी छोड़ चुका है जिसे कंपनी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत किया गया था। ऐसे में वाद अधिकृत व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत किया जाना माना जावेगा। और वादी लिमिटेड कंपनी होने के संबंध में प्रतिवादी की साक्ष्य में स्वीकारोक्ति है और यह सुस्थापित विधि है कि स्वीकृत तथ्य को प्रमाणित करने के लिये अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-58 में प्रावधान है। ऐसे में मूल वाद वादी कंपनी की ओर से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना माना जावेगा। प्र0पी0-1 में अवश्य अधिकृत किये जाने के प्रमाणीकरण पर दिनांक 15.09.06 अंकित की गई है जो कि तकनीकी बिन्दु है। किन्तु प्रतिवादी का ऐसा स्पष्ट रूप से प्रत्याख्यान नहीं आया है कि जब दिनांक 04.09.09 को दावा प्रस्तुत किया गया था तब प्रमेश तिवारी वादी कंपनी की ओर से अधिकृत नहीं थे।

15. आदेश 8 नियम 3 सीपीसी में यह प्रावधान किया गया है कि **प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टतः होगा**— प्रतिवादी के लिये यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणतः प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित है, किन्तु प्रतिवादी के लिये यह आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय ऐसे तथ्य संबंधी हर एक अभिकथन का विनिर्दिष्टतः विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकार नहीं करता है। एवं आदेश 8 नियम 4 सीपीसी के उपबंध अनुसार— **वाग्विलपूर्ण प्रत्याख्यान** —जहाँ प्रतिवादी वाद में के किसी तथ्य के अभिवसचन का प्रत्याख्यान करता है वहाँ उसे वैसा वाग्विलपूर्वक तौर पर नहीं करना चाहिए, वरन सार की बात का उत्तर देना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि यह अभिकथित किया जाता है कि उसने एक निश्चित धन की राशि प्राप्त की तो यह प्रत्याख्यान कि उसने वह विशिष्ट राशि प्राप्त नहीं की, पर्याप्त नहीं होगा वरन उसे यह चाहिए कि यह प्रत्याख्यान करे कि उसने वह राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया या फिर यह उपवर्णित करना चाहिए कि उसने कितनी राशि प्राप्त की, और यदि अभिकथन विभिन्न परिस्थितियों सहित किया गया है तो उन परिस्थितियों सहित उस अभिकथन को प्रत्याख्यान कर देना पर्याप्त नहीं होगा।

16. आदेश 8 नियम 5 के उपबंध मुताबिक— **विनिर्दिष्टतः प्रत्याख्यान**— (1) यदि वाद पत्र में के तथ्य संबंधी हर अभिकथन का विनिर्दिष्टतः या आवश्यक विवेका से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है या प्रतिवादी के अभिवचन में यह कथन कि वह स्वीकार नहीं किया जाता है तो जहाँ तक नियोग्यता धीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है, वह स्वीकार कर लिया जाना माना जावेगा।

परन्तु ऐसे स्वीकार किये गये किसी भी तथ्य के ऐसी स्वीकृति के अलावा अन्य प्रकार से साबित किये जाने की अपेक्षा न्यायालय स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

17. वाद प्रस्तुति के लिये सक्षम व्यक्ति के बिन्दु पर वैधानिक स्थिति को देखा जाये तो मूल वाद निर्विवादित रूप से कंपनी की ओर से अवशेष धन की वसूली के लिये प्र0पी0-3 लगायत 9 के इन्वॉईसों के माध्यम से हुए समव्यवहार की अवशेष राशि की वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह सही है कि मूल वाद दिनांक 04.09.09 को न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था और वाद वादी कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर (एच0आर0) प्रमेश तिवारी के द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित करके पेश किया गया और उसके पक्ष में वादी कंपनी के संचालक मण्डल के प्रस्ताव (रिजोल्यूशन) दिनांक 15 सितंबर 2009 को प्र0पी0-1 मुताबिक पारित करते हुए प्रमेश तिवारी को वाद प्रस्तुत करने, वकालतनामा, शपथ पत्र तथा अन्य आवेदन पेश करने हेतु अधिकृत किया गया था। जो प्रकरण की विषयवस्तु के संदर्भ में था। इससे यह तो स्पष्ट है कि वाद प्रस्तुति दिनांक को प्र0पी0-1 का अधिकार पत्र अस्तित्व में नहीं था। इसी आधार पर प्रतिवादी की ओर से इस आशय के वादोत्तर में अभिवचन किये गये हैं कि वादी का वाद सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस संदर्भ में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित व मौखिक विस्तृत तर्क भी किये गये हैं वादी अधिवक्ता का यह कहना रहा है कि वाद

प्रस्तुत करने के लिये प्र0पी0-1 का दस्तावेज बाद में निष्पादित होने से वाद अग्राह्य नहीं हो सकता है क्योंकि मौखिक रूप से अधिकृत किया जा सकता था और कंपनी द्वारा किया गया था। तभी तत्कालीन डिप्टी जनरल मैनेजर (एच0आर0) प्रमेश तिवारी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था जो तत्समय वादी कंपनी की मालनपुर स्थित उत्पादन इकाई में कंपनी की ओर से अधिकारी नियुक्त था।

18. इस संबंध में आदेश 6 नियम 14 एवं आदेश 29 नियम 1 सीपीसी का वादी का आवेदन तो निरस्त किया गया है जो इस आधार पर दिनांक 17.03.16 को निरस्त किया गया था। इसके संबंध में पूर्व से ही वाद प्रश्न निर्मित है। और उसमें उक्त बिन्दु का निराकरण संभव है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ऑल इण्डिया रिपोर्टर्स लिमिटेड बॉम्बे द्वारा शाखा प्रबंधक नागपुर एवं अन्य विरुद्ध चन्द्र धौण्डे दातार ए0आई0आर0 1061 बॉम्बे पेज-292** को पेश किया है जिसमें माननीय नागपुर उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश 6 नियम 14 एवं 29 नियम 1 सीपीसी के प्रावधानों के संदर्भ में यह प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान प्रक्रिया संबंधी हैं और उनके अपालन के आधार पर वाद निरस्त नहीं हो सकता है। तथा वाद के लिये उक्त प्रावधानों का अपालन होना नहीं माना जा सकता है और यह भी निष्कर्षित किया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स मौखिक रूप से भी वाद प्रस्तुति के लिये अधिकृत कर सकते हैं। इसी संदर्भ में प्रस्तुत किये गये अन्य न्याय दृष्टांत **यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध नरेश कुमार एवं अन्य ए0आई0आर0 1997 सुप्रीमकोर्ट पेज-03** भी पेश किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानों के संदर्भ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान तकनीकी हैं और उनके अपालन को सुधारा जा सकता है। तथा लोक हित में बैंक की ओरसे प्रस्तुत किये गये धन वसूली के वाद को ग्राह्य योग्य माना था। तथा यह मार्गदर्शन दिया है कि यदि बैंक की ओर से धन वसूली के वाद को हस्ताक्षरित और सत्यापित न किया जाना मात्र तकनीकी है और उसके आधार पर दावा निरस्त नहीं हो सकता है। तथा अन्य प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत **इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध मैसर्स मुकुन्द कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं अन्य ए0आई0आर0 2010 (एन0ओ0सी) 44 (कर्नाटक)** के मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 29 नियम 1 सीपीसी के संबंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कंपनी की ओर से प्रस्तुत वाद में यदि अधिकारी द्वारा बिना अधिकार पत्र के दावा पेश किया गया है तो उसे वाद में मुख्यारनामा के द्वारा सुधारा जा सकता है। और ऐसा सुधार वैधानिक होगा तथा वाद ग्राह्य योग्य बताया है।

19. आदेश 6 नियम 14 सीपीसी के संदर्भ में न्याय दृष्टांत **नवभारत कार्पोरेशन विरुद्ध मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल 2006 भाग-2 एम0पी0एल0जे0 पेज-306** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। कि वाद पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं अभिवचनों का सत्यापन करने के लिये लिखित प्राधिकार अथवा मुख्यारनामा की आवश्यकता नहीं है। यह मौखिक भी हो सकता है और उक्त न्याय दृष्टांत में आदेश 6 नियम 14 सीपीसी के परन्तुक में सम्यक रूपसे प्राधिकृत शब्द की भी व्याख्या की गई है। एवं आदेश 29 नियम 1 सीपीसी के संबंध में न्याय दृष्टांत **बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध एस0के0 मुखर्जी 2006 भाग-1 एम0पी0एल0जे0 पेज-477** में यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभिवचनों का सत्यापन करने की सक्षमता सक्षम अधिकारी या प्रधान अधिकारी को होती है और उसके लिये मुख्यारनामा की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा यह भी मार्गदर्शित किया गया है कि यदि समव्यवहार साबित किया जाता है तो वाद डिक्री किया जाना चाहिए।

20. इस प्रकार से ऊपरोक्त न्याय दृष्टांतों में विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद पत्र की प्रस्तुति अभिवचनों के हस्ताक्षरित व सत्यापित किये जाने के संबंध में जो वैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया है उससे वाद पत्र हस्ताक्षरित और सत्यापित कर कंपनी द्वारा मौखिक निर्देश पर भी किया जा सकता है और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रमेश तिवारी ने मूल वाद कंपनी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में वाद सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत माना जावेगा और उसके संबंध में प्रतिवादी की ओर से उठाई गई विभिन्न आपत्तियों जो तर्कों के माध्यम से उठाई गई हैं, उनकी कोई वैधानिकता नहीं रह जाती है। तथा दिनांक 15.09.09 को

प्र०पी०-1 के तहत अधिकार दिये जाने से भी उसकी पुष्टि होती है और यह प्रमाणित पाया जाता है कि वाद सक्षम व्यक्ति की ओर से वादी कंपनी के मार्फत प्रस्तुत किया गया है। तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो न्याय दृष्टांत पेश किये गये हैं वे विशिष्टतः साझेदारी फर्म पर आधारित दावों से संबंधित हैं और विचाराधीन मामले में वादी साझेदार फर्म नहीं है बल्कि लिमिटेड कंपनी है जिसके अस्तित्व में स्वयं प्रतिवादी की ओर से दी गई साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। ऐसे में यही माना जावेगा कि वादी कंपनी की ओर से सक्षम व्यक्ति द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-3 वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-7 का निराकरण

21. उक्त वाद प्रश्न भी प्रतिवादी के वादोत्तर में लिये गये विशिष्ट अभिवचनों जो अतिरिक्त आपत्तियों के माध्यम से लिये गये हैं, उसे आधार पर निर्मित किया गया है। विचाराधीन वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है या नहीं, इस बिन्दु पर वादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में प्रतिवादी से एटलस साईकिल और उसके पुर्जों का समव्यवहार मालनपुर से होने और माल मालनपुर स्थित फैक्ट्री से सप्लाई किये जाने के आधार पर क्षेत्रीय और वित्तीय अधिकारिता इस न्यायालय को होने का अभिवचन वाद पत्र की कण्डिका-8 में करते हुए आज्ञाप्ति चाही है। प्रतिवादी की ओर से वादोत्तर में खण्डन करते हुए यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी को माल ग्वालियर में प्राप्त हुआ। प्रतिवादी ने राशि भी ग्वालियर से ही भेजी। प्रतिवादी ग्वालियर में ही निवासरत होकर व्यापार करता है। इस प्रकार संविदा ग्वालियर में हुई है। इसलिये इस न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकारिता वाद की सुनवाई की प्राप्त नहीं है।

22. उक्त विधिक बिन्दु के संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से वादी कंपनी से एटलस साईकिल और उसके पुर्जों के समव्यवहार को स्वीकार किया गया है। मालनपुर स्थित फैक्ट्री से ही समव्यवहार हुआ है। जो इन्वॉइसों के माध्यम से हुआ था इसलिये उक्त वाद न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है। उन्होंने अपने तर्कों में विचाराधीन वाद सीपीसी की धारा-20-ग के अंतर्गत विचारण योग्य होने का तर्क किया गया है जबकि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित व मौखिक तर्कों में खण्डन करते हुए यह कहा है कि उक्त वाद प्रश्न के संबंध में वादी ने कोई साक्ष्य नहीं दी है और प्रतिवादी साक्षी ने यह स्पष्ट रूप से साक्ष्य दी है कि उसकी फर्म ग्वालियर में है। माल भेजने की संविदा ग्वालियर में हुई। वादी के अधिकारी ग्वालियर में ही रहते हैं। माल भी ग्वालियर में ही प्राप्त हुआ ऐसी स्थिति में दावे की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इसलिये वाद चलने योग्य नहीं है और उसी आधार पर निरस्त किया जावे।

23. मूल वाद की विषयवस्तु को देखा जाये तो वाद वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निरंतर इन्वॉइसों के माध्यम से उधार के समव्यवहार के तहत अवशेष राशि की वसूली मय ब्याज हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में यह बिन्दु निर्विवादित है कि वादी कंपनी की एटलस साईकिल और उसके पुर्जों की उत्पादन इकाई मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थापित है जहाँ से माल सप्लाई हुआ। प्रतिवादी की यह आपत्ति है कि वह ग्वालियर में कारोबार करता है वहीं रहता है, वहीं उसे माल प्राप्त हुआ समव्यवहार भी वह ग्वालियर में ही होना बताता है इस आधार पर न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को प्रश्न गत किया गया है।

24. वाद करने के स्थान के संबंध में सी०पी०सी० 1908 की धारा-15 से धारा-25 में उपबंध किये गये हैं। प्रकरण की विषयवस्तु धन वसूली की है। ऐसे में वाद की क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में धारा-20 का प्रावधान आकर्षित होगा और सीपीसी की धारा-20 के उपबंध मुताबिक-**अन्य वाद वहाँ संस्थित किये जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद-हेतुक पैदा होता है-** पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए हर वद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर-

(क) प्रतिवादी, या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहाँ प्रतिवादियों में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, अथवा

(ख) जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, परन्तु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में या तो न्यायालय की इजाजत दे दी गई है या जो प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप में निवास नहीं करते या कारबार नहीं करते या अभिलाभ के लिये स्वयं काम नहीं करते, वे ऐसे संस्थित किये जाने के लिये उपमत्त हो गये हैं, अथवा

(ग) वाद-हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है।

स्पष्टीकरण- नियम के बारे में यह समझा जायेगा कि वह भारत में के अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे वाद हेतुक की बाबत, जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुआ है जहाँ उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान में कारबार करता है।

25. जिन प्र०पी०-3 लगायत 9 के प्रश्नगत इन्चोईसों की राशि से संबंधित विवाद है, जिसका वादी ने प्र०पी०-10 और 11 का स्टेटमेंट व आउटस्टेण्डिंग रिपोर्ट के आधार पर वसूली चाही है उनका वाद प्रश्न क्रमांक-1 के मूल्यांकन में ही विचार होगा। जहाँ तक क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रश्न है, पक्षकारों के मध्य यह बिन्दु स्थापित है कि वादी कंपनी की साईकिल और उसके पुर्जों की उत्पादन इकाई मालनपुर में स्थित है जहाँ से माल सप्लाई किया गया। विजय गर्ग प्र०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष के पैरा-11 में यह कहा है कि ज्यादातर एटलस साईकिल का उनके यहाँ काम होता है। उनकी फर्म चौधरी ब्रदर्स के नाम से करीब तीस वर्षों से है और जब से मालनपुर में वादी कंपनी स्थापित हुई है तभी से वादी कंपनी से साईकिल और उसके कलपुर्जों का समव्यवहार प्रारंभ हो गया था। प्र०पी०-3 लगायत 9 के इन्चोईसों के मुताबिक मालनपुर से माल भेजा जाना बताया गया है जिसे प्रतिवादी ने ग्वालियर में अवश्य प्राप्त किया। ऐसे में धारा-30(ग) सीपीसी का उपबंध प्रकरण में आकर्षित होगा। जिसमें पूर्णतः या भागतः उत्पन्न वाद कारण के आधार पर भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। चूंकि मालनपुर से माल भेजा गया। ऐसी स्थिति में आंशिक वाद कारण मालनपुर में उत्पन्न होगा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। क्योंकि मालनपुर राजस्व तहसील गोहद के अंतर्गत आता है और प्रतिवादी के मुताबिक जो उसने पचास हजार रुपये का अंतिम भुगतान दिनांक 04.09.06 को किया वह वादी कंपनी की मालनपुर स्थित इकाई में किया गया है, जैसा कि प्र०पी०-10 से भी प्रकट होता है इसलिये प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक व लिखित तर्कों में यह आक्षेप कि वादी कंपनी के अधिकारी ग्वालियर में रहते हैं, उसके आधार पर संविदा ग्वालियर में हुई और ग्वालियर के न्यायालय को ही स्थानीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होना नहीं माना जा सकता है। ऐसे में प्रतिवादी की आपत्ति बे-बुनियाद होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और उक्त विधिक स्थिति के आधार पर यह माना जाता है कि विचाराधीन वाद की सुनवाई का स्थानीय क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है और वाद इस न्यायालय में संचालन योग्य है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-7 वादी के पक्ष में निर्णीत कर प्रमाणित ठहराया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण

26. उक्त वाद प्रश्न प्रतिवादी के वादोत्तर में किये गये आक्षेपों पर से निर्मित किया गया है। परिसीमा के बिन्दु का प्रमाण भार वादी पर होता है। वादी की ओर से वाद पत्र में किये गये अभिवचनों में इस संबंध में वाद कारण प्रतिवादी द्वारा दिनांक 04.09.06 को अंतिम बार पचास हजार रुपये का भुगतान करने और दिनांक 02.05.09 को दिये गये नोटिस के ऊपरान्त दावा धनराशि प्राप्त न होने पर से उत्पन्न होना बताया है। जो वाद पत्र की कण्डिका-अ के रूप में जोड़े गये संशोधन मुताबिक प्रश्नगत इन्चोईसों की राशि कुल 782164/- रुपये व ब्याज की वसूली के लिये प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी की ओर से अपने अभिवचनों का खण्डन करते हुए कोई राशि अवशेष होने से इन्कार कर

प्राप्त माल के ऐवज में अंतिम और पूर्ण भुगतान 50000/-रुपये का दिनांक 04.09.06 को डी0डी0 नंबर-43355 के माध्यम से करना बताया है और उसके बाद कोई और माल नहीं मंगाया गया है। प्रतिवादी वाद पत्र की कण्डिका-5 अ में दिये गये विवरण के इन्वॉइसों को वाद में कूटरचित तैयार करना कहकर आया है जिसका निराकरण तो वाद प्रश्न क्रमांक-1 में किया जायेगा। समयावधि के संबंध में अतिरिक्त आपत्तियों में वादोत्तर की कण्डिका-6, 7 एवं 10 लगायत 13 में अभिवचन किये हैं। जिस पर से उक्त वाद प्रश्न निर्मित किया गया था।

27. इस संबंध में वादी की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई उसमें वादी साक्षी तलविन्दरसिंह प्र0सा0-1 के द्वारा मूलतः यह बताया गया है कि वादी कंपनी से प्रतिवादी ने जनरल लेजर एकाउण्ट मुताबिक कुल 1,73,50,406/-रुपये का माल प्राप्त किया है और वादी कंपनी ने सप्लाई किया है जिसमें से 1,65,68,242/-रुपये प्रतिवादी द्वारा वादी को भुगतान किया गया है। अंतिम भुगतान दिनांक 04.09.06 को पचास हजार रुपये का किया था जिसे समायोजित करने के बाद अवशेष राशि 7,82,164/-रुपये निकलती है जो प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं की गई जिस पर से दिनांक 01.05.09 को वादी कंपनी की ओर से प्रतिवादी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया था और धनराशि की मांग की गई थी किन्तु कोई धनराशि उसके बाद अदा नहीं की गई। इस तरह से वादी द्वारा वाद कारण दिनांक 04.09.06 से उत्पन्न बताया है और तीन वर्ष की कालावधि में दावा दिनांक 04.09.09 को प्रस्तुत करना बताया गया है। इसी अनुरूप वादी अधिवक्ता ने तर्क भी किये हैं। तथा चतुर्सीमा के बिन्दु पर भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-12 एवं 19 तथा अनुसूची के अनुच्छेद-26 पर बल दिया गया है।

28. प्रतिवादी विजय गर्ग प्र0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्यमें यह कहा है कि मै0एटलस साईकिल मालनपुर से साईकिल के पुर्जे वह कई वर्षों तक मंगवाता रहा है और दिनांक 04.09.06 को अंतिम हस्ताक्षर होकर वादी को पचास हजार रुपये का भुगतान उसके द्वारा किया गया था जो निकल रहे थे। उक्त दिनांक के बाद कोई लेनदेन नहीं हुआ है न उसने कोई माल मंगाया है। डीलरशिप भी समाप्त हो चुकी थी। दिनांक 04.09.06 को पूर्ण भुगतान हो जाने से तीन वर्ष के भीतर राशि की वसूली के लिये कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रत्येक इन्वॉइस में अंकित राशि के लिये दावा अवधि बाह्य है और निर्धारित अवधि में पेश न होने से निरस्ती योग्य है। पैरा-12 में उसने यह भी कहा है कि जीरो बैलेन्स से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

29. इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से ऊपरोक्त वर्णित अभिवचनों के संदर्भ में उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित एवं मौखिक विस्तृत तर्कों में प्राथमिक आपत्ति इस बात पर ली गई है कि दिनांक 04.09.09 को जो दावा न्यायालय में प्रस्तुतकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था वह रीडर को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश महोदय भिण्ड द्वारा कभी भी रीडर को दावा प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं किया गया था और पीठासीन अधिकारी के समक्ष दावा दिनांक 11.09.09 को पेश हुआ है जिससे भी वाद स्पष्ट रूप से अवधि बाह्य है। रीडर को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार था या नहीं था इस संबंध में न्यायालय को न्यायिक नोटिस लिया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1961 के नियम 37 के अनुसार रीडर को दावा प्राप्त करने के लिये कोई लिखित आदेश न होने से दावा अवधि बाह्य है और प्रकरण में परिसीमा अधिनियम की धारा-12 के प्रावधान वादी को लाभ नहीं पहुंचाते हैं। वादी को वाद दिनांक 03.09.09 तक पेश करना चाहिए था और दिनांक 03.09.09 को कार्यदिवस था इसलिये वाद अवधि बाह्य है। तथा जिन इन्वॉइसों के आधार पर वसूली का वाद प्रस्तुत किया गया है उनके संबंध में वाद प्रस्तुति के समय कोई जानकारी और विवरण नहीं दिया गया है। बाद में इन्वॉइस कूटरचित तैयार की गई और वादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रत्येक इन्वॉइस दिनांक से किस इन्वॉइस की अवधि कब समाप्त हो गई। उन्होंने अपने विस्तृत तर्कों में दिनांक 20.01.03 के प्र0पी0-3 के इन्वॉइस की परिसीमा दिनांक 19.01.06 को, दिनांक 18.04.03 के प्र0पी0-4 के इन्वॉइस की परिसीमा दिनांक 17.04.06 तक, प्र0पी0-5 की इन्वॉइस दिनांक 19.01.05 की परिसीमा दिनांक 18.01.08 तक, दिनांक 24.01.05 प्र0पी0-6 की इन्वॉइस की परिसीमा दिनांक

23.01.08 तक तथा दिनांक 31.01.05 के इन्चॉईस प्र०पी०-7 व 8 के लिये परिसीमा 30 जनवरी-2008 तक एवं दिनांक 25.02.05 के प्र०पी०-9 के इन्चॉईस के लिये परिसीमा दिनांक 24.03.08 तक ही रखी गई इसलिये दिनांक 04.09.09 को पेश किया गया वाद स्पष्ट रूप से अवधि बाह्य है। इस संबंध में उन्होंने परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद-14 पर बल दिया है। यह भी तर्क किया है कि दिनांक 04.09.09 को जो वाद वादी की ओर से पेश किया गया था वह अपूर्ण न्यायशुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया था और न्यायशुल्क की पूर्ति दिनांक 06.05.10 को की गई इससे भी वाद अवधि बाह्य है। तथा प्रतिवादी को कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है। वादी ने प्र०पी०-12 का जो नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजना बताया है उसकी कोई पावती पेश नहीं की गई है इसलिये जो वाद कारण बताया है वह खण्डित हो जाता है और वादी का वाद अवधि बाह्य होने के बन्दु पर ही निरस्त किया जावे।

30. जहाँ तक यह बिन्दु उठाया गया है कि मूल वाद दिनांक 04.09.09 को रीडर द्वारा प्राप्त किया गया और रीडर वाद को प्राप्त करने के लिये न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया था या नहीं। इस संबंध में न्यायालय न्यायिक नोटिस ले। इस बिन्दु पर मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1961 के नियम 37 के मुताबिक- **वाद पत्रों का परीक्षण, प्रस्तुति एवं पंजीयन आदि-** न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिये लिखित रूप में नियुक्त (आदेश 4 नियम 1) अधिकारी या वादपत्र न्यायालय के समक्ष नियम 1 द्वारा निर्धारित समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियुक्त किया गया लिपिकवर्गीय अधिकारी आदेश 7 नियम 9 के उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिये मुख्य लिपिकवर्गीय अधिकारी होगा।

टिप्पणी-1- इस प्रकार नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी सिविल जिले के मुख्यालय के स्थान पर न्यायालय अधीक्षक या न्यायालय उप-अधीक्षक या अन्य कोई ऐसा अधिकारी, जिसे जिला न्यायाधीश युक्तियुक्त समझे होगा। यह ध्यान भी रखा जायेगा कि इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय पृथक आदेश लिखित में लिपिबद्ध करेगी तथा जिला न्यायाधीश द्वारा एक सामान्य आदेश पर्याप्त नहीं होगा।

टिप्पणी-2- यह नियम अपील के ज्ञापन तथा आवेदन पत्रों पर भी लागू होगा। (आदेश 41 नियम 1 तथा आदेश 21 नियम 10)

31. उक्त प्रावधान के मुताबिक यह सही है कि न्यायालय द्वारा रीडर को पत्र प्राप्त करने के लिये लिखित आदेश के माध्यम से भी मुख्य लिपिकवर्गीय अधिकारी के रूप में अधिकृत किया जाता है। अभिलेख पर इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि दिनांक 04.09.09 के जब उक्त वाद प्रस्तुत हुआ था। उक्त दिनांक को रीडर वाद पत्र ग्रहण करने के लिये मुख्य लिपिकवर्गीय अधिकारी के रूप में नामांकित था या नहीं था। क्योंकि उसके संबंध में कोई भी अभिलेख न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। यह सही है कि दिनांक 04.09.09 को वाद प्रस्तुति दिनांक को पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण पर जबलपुर गये थे और रीडर ने उसे प्राप्त किया था। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से वाद लंबन काल में धारा-151 सीपीसी के तहत ही आवेदन न्यायिक नोटिस लिये जाने बाबत पेश किया गया था जिसका दिनांक 18.02.16 को निराकरण किया गया था। और उसमें यह स्पष्ट किया जा चुका है कि न्यायालय में इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उक्त अधिनियम 37 के अंतर्गत रीडर वाद ग्रहण करने के लिये मुख्य लिपिकवर्गीय अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया था या नहीं। इस आधार पर न्यायिक नोटिस लेने में न्यायालय समर्थ न होने का निष्कर्ष दिया गया था। चूंकि इस बिन्दु पर प्राथमिक स्तर पर जब प्रतिवादी न्यायालय में प्रथम बार उपस्थित हुआ तभी उसे इस संबंध में जांच करा लेनी चाहिए थी क्योंकि मामला अंतरित होता रहा है। इस न्यायालय को भी अंतरण पर माननीय जिला जज महोदय भिण्ड के आदेश क्रमांक-45 दिनांक 09.04.04 के द्वारा अंतरित होकर प्राप्त हुआ था। चूंकि प्रारंभिक स्तर पर इस बिन्दु की कोई जांच नहीं हुई है इसलिये सकारात्मक उपधारणा इस आशय की ही निर्मित की जायेगी कि रीडर को पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में वाद प्रस्तुत होने पर ग्रहण करने के लिये मुख्य लिपिकवर्गीय अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया था। इसलिये वाद प्रस्तुत की दिनांक 04.09.09 ही मानी जाने की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। और उक्त

नियम 37 के संबंध में प्रतिवादी की आपत्ति स्वीकार योग्य न होकर अमान्य किये जाने योग्य है।

32. जहाँ तक यह बिन्दु उठाया गया है कि न्यायाधीश के समक्ष उक्त वाद सर्वप्रथम दिनांक 11.09.09 को प्रस्तुत हुआ और अपूर्ण न्याय शुल्क के साथ प्रस्तुत हुआ था तथा दिनांक 06.05.10 को न्यायशुल्क का भुगतान किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 10.05.10 को न्यायशुल्क का भुगतान किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 10.05.10 को वाद व्यवहारवाद पंजी-ब में पंजीबद्ध हुआ। इस आधार पर प्रतिवादी ने वाद प्रस्तुति की दिनांक 10.05.10 को माने जाने का जो निवेदन किया है वह भी स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि वाद पत्र के साथ ही धारा-149 दप्रसं का आवेदन पत्र भी पेश किया गया था जो विचारार्थ लंबित रहा और दिनांक 06.05.10 को अवशेष न्याय शुल्क भुगतान किया गया। इसलिये दिनांक 10.05.10 को वाद प्रस्तुति दिनांक नहीं मानी जा सकती है। यह तर्क भी प्रतिवादी का स्वीकार योग्य न होने से अमान्य किया जाता है।

33. प्रकरण में मूल वाद अवशेष धन वसूली का इस आधार पर पेश किया गया है कि वादी और प्रतिवादी के मध्य इन्वॉइसों के माध्यम से समव्यवहार उधारी का होता रहा है और उससे मध्य कुल लेनदेन 1,73,50,406 का बताया गया है जो माल सप्लाई किया जाना वादी ने कहा है जिसमें से वादी के मुताबिक 1,65,68,242/-रुपये का भुगतान हुआ है और उसमें अंतिम भुगतान डी0डी0 क्रमांक-4335555 दिनांक 04.09.06 को पचास हजार रुपये का बताया गया है। उक्त राशि का भुगतान अंतिम बार किया जाना प्रतिवादी भी स्वीकार करता है। किन्तु वादी के मुताबिक पूर्व के इन्वॉइसों के माध्यम से भेजे गये माल में वह राशि समयोजित हुई। तत्पश्चात् भेजे गये माल की अवशेष राशि 7,82,164/-रुपये शेष रहीं। जबकि प्रतिवादी के मुताबिक 50000/-रुपये का किया गया भुगतान पूर्ण नहीं था और उसके बाद कोई लेनदेन शेष नहीं रहा। न ही कोई माल मंगाया गया। इस तरह से प्रतिवादी तो कोई अवशेष होने से ही इन्कार कर रहा है और उसके संबंध में निष्कर्ष वाद प्रश्न क्रमांक-1 में ही संभव है।

34. परिसीमा की गणना के लिये जो संबंधित प्रावधान परिसीमा अधिनियम 1963 में हैं उसकी उक्त अधिनियम की धारा-12 (1) जो कि वाद के लिये भी लाई गई है उसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जावेगा जिसमें ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी हो। अर्थात् प्रथम दिन अपवर्जित होगा। और अंतिम भुगतान दिनांक 04.09.06 को किया गया है तथा दोनों पक्षकारों के मध्य समव्यवहार निरंतरता में होता रहा है। ऐसे में परिसीमा काल की गणना दिनांक 05.09.06 से गिनी जावेगी। उस हिसाब से दिनांक 04.09.09 को प्रस्तुत किया गया वाद तीन वर्ष की म्याद के भीतर होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। चूंकि निरंतरता का समव्यवहार है इसलिये प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया यह तर्क कि परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची का अनुच्छेद-14 लागू होगा। वह इसलिये मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों पक्षकारों के मध्य जो समव्यवहार हुआ है उनका इन्वॉइस लिखित में है और अनुच्छेद-14 उस दशा में लागू होता है जब उधारी की किसी नियत कालावधि का करार न हो। बल्कि प्रकरण में अनुच्छेद-26 लागू होगा। जिसमें उस धन के लिये जो वादी और प्रतिवादी के बीच विवरणित लेखा के अनुसार प्रतिवादी द्वारा वादी को शोध्य निकाले धन के लिये वादी को संदेय हो, तीन वर्ष उस समय से बतलाई गई है जब लेख प्रतिवादी द्वारा या उसके ऐसे निमित्त सम्यक् प्राधिकर्ता अभिकर्ता हस्ताक्षरित लेख में विवरणित किया जाता है किन्तु जहाँ कि ऋणी पूर्वोक्त जैसे हस्ताक्षरित लेख में उस समय समसामयिक करार से किसी भावी समय पर संदेह किया जाता है तब वह समय आया।

35. विचाराधीन वाद में परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-19 का प्रावधान भी लागू होगा जिसमें यह उपबंध है कि- जहाँ कि ऋण खाते या रिक्त भाग पर बयाज खाते देनगी निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व ऋण या रिक्त भाग देने के लिये दायी व्यक्ति द्वारा या उसके सम्यक् रूपेण प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा कर दी जाती है वहाँ नया मर्यादाकाल उस समय से संगणित किया जावेगा जबकि वह देनगी की गई थी।

परन्तु यह तब जबकि सन् 1928 की जनवरी के प्रथम दिवस से पूर्व की गई देनगी होने

की अवस्थाओं के सिवाय देनगी की अभिव्यक्ति देनगी करने वाले व्यक्ति की हस्तलिपि में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लेखन में संदर्शित हो।

व्याख्या— इस धारा के प्रयोजनार्थ (क) जहाँ कि बंधक की गई भूमि बन्धकी के कब्जे में वहाँ ऐसी भूमि के भाटक या उपज की प्राप्ति उपधारा(1) के प्रयोजनों के लिये देनगी मानी जावेगी।

36. वादी ने जो लेखी और मौखिक साक्ष्य पेश की है उसमें प्र०पी०-3 लगायत 9 के इन्वॉईसों के माध्यम से भेजे गये माल में से समायोजन ऊपरान्त शोध्य राशि की वसूली चाही है और वाद प्रतिवादी के मध्य जो समव्यवहार हुआ है उसका स्टेटमेन्ट प्र०पी०-10 के रूप में पेश किया है तथा बिल अनुसार आउट स्टेण्डिंग रिपोर्ट प्र०पी०-11 के रूप में बताई है। प्र०पी०-10 में वादी का डीलर कोड 53531 अंकित है जिसका प्रतिवादी की ओर से खण्डन नहीं है। प्रतिवादी डीलरशिप का अस्तित्व तो स्वीकार करता है किन्तु वह अंतिम भुगतान के साथ समाप्त होना बताकर आया है। ऐसे में निरंतर समव्यवहार को देखते हुए प्रत्येक इन्वॉईस के लिये अलग परिसीमा काल की गणना नहीं की जायेगी। जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में अलग अलग परिसीमा काल बताया है। इसलिये उक्त आधार पर वाद म्याद भीतर प्रस्तुत होना पाया जाता है।

37. जहाँ तक दावा पूर्व दिये गये प्र०पी०-12 के मांग सूचना पत्र की वैधानिकता का प्रश्न उठाया गया है जिसमें प्रतिवादी तो यह कहकर आया है कि उसे कोई नोटिस नहीं मिला और वादी द्वारा कोई पावती भी पेश नहीं की गई है। प्र०पी०-12 के रूप में जो दावा पूर्व नोटिस की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें नोटिस रजिस्टर्ड ए०डी० से भेजा जाना अंकित है, रजिस्ट्री की रसीद प्र०पी०-13 के रूप में पेश की गई है जिसका खण्डन नहीं है। पावती न होने से यह उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है कि नोटिस प्राप्त नहीं हुआ होगा। दूसरी ओर पक्षकारों के आपसी समव्यवहार को देखते हुए मांग सूचना पत्र की अनिवार्यता भी प्रकरण में होना प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि विहित तीन वर्ष के परिसीमा काल में वाद प्रस्तुत होना ऊपरोक्त विश्लेषण मुताबिक पाया गया है। और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा-60 इस संबंध में यह स्पष्ट करती है कि परिसीमा काल में यदि वाद पेश किया जाता है तो ऐसे नोटिस की अनिवार्यता नहीं है। जैसाकि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में आक्षेप किया है। इसलिये प्र०पी०-12 के नोटिस की पावती रसीद अभिलेख पर न होने का वादी के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने में कोई उपधारणा को निर्मित नहीं करता है। इस प्रकार से ऊपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वाद वांछित डिक्री के लिये समयावधि के भीतर होना निष्कर्षित करते हुए वाद प्रश्न क्रमांक-4 को वादी के पक्ष में प्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण

38. इस संबंध में वादी की ओर से साक्ष्य देने के लिये अधिकृत किये गये तलविन्दर सिंह वा०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वादी कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत लिमिटेड कंपनी है। जो साईकिल व साईकिलों के पुर्जों का निर्माण, एवं क्रय विक्रय करती हैं। ट्रेडमार्क एटलस है। और प्रतिवादी मैसर्स चौधरी ब्रदर्स के नाम से ग्वालियर में व्यवसाय करती है जिसकी डीलरशिप कंपनी में है। जिसका ऊपर भी उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी की मांग अनुसार वादी कंपनी की ओर से विभिन्न प्रकार की साईकिलें और उनके पुर्जे सप्लाई मालनपुर स्थित फैक्ट्री से की गई। कंपनी के करेन्ट लेजर एकाउण्ट मुताबिक प्रतिवादी को कुल 1,73,50,406 का माल सप्लाई किया गया है और उसमें से प्रतिवादी द्वारा 16568242 रुपये का भुगतान वादी कंपनी को किया गया। अंतिम भुगतान दिनांक 04.09.06 को डी०डी० क्रमांक-433555 से 50 हजार रुपये का किया गया था जिसके समायोजन के पश्चात वादी कंपनी का प्रतिवादी के ऊपर 7821634 रुपये बकाया निकलते हैं जिसकी कई बार प्रतिवादी से वादी कंपनी द्वारा मांग की गई। साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-5 अ में सप्लाई किये गये माल के संबंध में कंपनी के इन्वॉईसों का विवरण भी दिया है। तथा पैरा-6 में यह भी बताया है कि प्रतिवादी को उक्त अवशेष राशि के संबंध में दिनांक 01.05.09 को स्पीड पोस्ट से नोटिस भी दिया गया था। और उसके बावजूद भी भुगतान न करने पर वाद कारण उत्पन्न होने से दावा पेश किया गया है। साक्षी ने पैरा-7 में यह भी बताया है कि पूर्व में कंपनी की ओर से प्रमेश दुबे ज्वाईंट

जनरल मैनेजर को अधिकृत किया गया है जिसका दस्तावेज प्र०पी०-1 है तथा तत्पश्चात श्री आई०डी० चुघ जो कि उनकी कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कंपनी की ओर से उसे प्र०पी०-2 के द्वारा अधिकृत किया गया है जिसके संबंध में प्रतिवादी की ओर से साक्षी पर की गई जिरह में पैरा-11 में यह आया है कि जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, उनमें किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं हैं और दस्तावेजों पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, वे सभी जीवित हैं। कुछ उसमें से नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। प्र०पी०-2 के संबंध में साक्षी ने पैरा-12 में यह स्वीकार किया है कि वह प्रमाणित प्रतिलिपि है। जिस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। मूल कहाँ हैं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने यह भी बताया है कि जसप्रीतसिंह जीवित होकर कंपनी के सेक्रेटरी हैं।

39. इस संबंध में वादी की ओर से यह तर्क किया गया है कि वह सक्षम व्यक्ति है और उसे वाद को प्रमाणित करने के लिये साक्ष्य देने की अधिकारिता है। जबकि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से किये गये लिखित और मौखिक तर्कों में यह कहा गया है कि वा०सा०-1 साक्ष्य देने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जानकारी का अभाव बताता है। और दूसरे विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर अपना भार डाल देता है। इसलिये तलविन्दरसिंह अधिकृत व्यक्ति नहीं है। उसके पक्ष में कोई वकालतनामा आम या खास कंपनी की ओर से इनके संबंध में नहीं है। क्योंकि मुख्यारनामा एक हजार रुपये गैर न्यायिक स्टाम्प पर निष्पादित किया जाता है जो किसी नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। इसलिये वा०सा०-1 वादी की हैसियत नहीं रखता है और उसकी साक्ष्य इसी आधार पर ग्राह्य योग्य नहीं है। इस बिन्दु पर विचार किया गया। प्र०पी०-2 का अवलोकन किया गया। जो दिनांक 29 अप्रैल-2015 को वा०सा०-1 तलविन्दरसिंह के पक्ष में कंपनी सेक्रेटरी द्वारा कंपनी की ओर से संचालक मण्डल के प्रस्ताव पर निष्पादित किया गया है। प्र०पी०-2 में सत्यापित प्रति होने का उल्लेख अवश्य है किन्तु वह मूल स्वरूप में है या उस पर कंपनी सेक्रेटरी के मूल हस्ताक्षर हैं और उसे मूलतः पेश किया गया है। तथा तलविन्दरसिंह साक्ष्य के समय वादी कंपनी की मालनपुर स्थित उत्पादन इकाई का फैक्ट्री मैनेजर था। इस हैसियत से वह वादी और प्रतिवादी के मध्य हुए समव्यवहार के संबंध में साक्ष्य देने के लिये सक्षम होना पाया जाता है। क्योंकि उसे कंपनी द्वारा प्र०पी०-2 के अनुसार अधिकृत किया गया है। चूंकि मूल वाद कंपनी की तरफ से है, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से नहीं है, ऐसे में मुख्यारनामा निष्पादित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। और प्र०पी०-2 के द्वारा उसे अधिकृत माना जा सकता है। उसके लिये कंपनी सचिव जसप्रीतसिंह व संचालक मण्डल में से किसी के द्वारा स्वयं साक्ष्य पेश होने की अनिवार्यता नहीं मानी जा सकती है और तलविन्दरसिंह अधिकृत व्यक्ति होना पाया जाता है।

40. प्रकरण में मूलतः यह देखा जाना है कि क्या प्र०पी०-3 लगायत 9 के इन्चॉइसों के माध्यम से बताये गये समव्यवहार की पुष्टि होती है और क्या उसके तहत ही अवशेष राशि वादी कंपनी की प्रतिवादी प्रतिष्ठान पर अवशेष है क्योंकि जैसा कि ऊपर न्याय दृष्टांत बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध एस०के० मुखर्जी का उल्लेख किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि समव्यवहार साबित होता है तो वाद डिक्री किया जाना चाहिए। मुख्यारनामा अपेक्षित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में भी वा०सा०-1 सक्षम साक्षी होगा और एक हजार रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर मुख्यारनामा आम या खास न होने का बिन्दु प्रकरण में उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता है।

41. जहाँ तक मूल समव्यवहार का प्रश्न है, वा०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-8 में प्र०पी०-3 लगायत 9 के इन्चॉइसों का विवरण देते हुए यह भी बताया है कि प्र०पी०-3 पर सतीश सिंह के, प्र०पी०-4,5 एवं 9 पर निर्मल कुमार के, प्र०पी०-6 एवं 7 पर शिशुपाल के, प्र०पी०-8 पर आलोक राय चौधरी के हस्ताक्षर हैं जिनके हस्ताक्षरों को वह पहचानता है क्योंकि उनके साथ कार्य कर चुका है। उसने पैरा-9 में यह भी कहा है कि प्रतिवादी को सप्लाई किये गये माल का एकाउण्ट संबंधी स्टेटमेन्ट 12 पृष्ठों में प्र०पी०-10 है जिस पर प्रमेश तिवारी के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं तथा बिलवाईज आउटस्टेण्डिंग रिपोर्ट प्र०पी०-11 है जिस पर पवनकुमार के ए से ए भाग पर तथा निर्मल कुमार से बी से बी भाग पर हस्ताक्षर हैं जिन्हें भी वह पहचानता है। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से

की गई प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य आया है कि ऊपरोक्त व्यक्ति जीवित हैं और उनमें से प्रमेश तिवारी, शिशुपालसिंह, सतीशसिंह, आलोक राय, पवनकुमार कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। अन्य कंपनी में कार्यरत हैं। इसलिये उन सभी को वादी को साक्ष्य में बुलाना चाहिए था। उनके अभाव में उक्त दस्तावेज प्रमाणित नहीं हो सकते हैं जिसका वादी कंपनी की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसलिये उक्त दस्तावेजों को वा०सा०-1 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

42. प्र०पी०-4, 5 एवं 9 लगायत 11 के संबंध में निर्मल कुमार वा०सा०-2 के रूप में वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिसने अपने हस्ताक्षरों को एवं प्रमेश तिवारी, शिशुपालसिंह के भी हस्ताक्षरों को पहचाना है और यह बताया है कि वह मालनुपर में जब से एटलस फ़ैक्ट्री शुरू हुई है, तब से ही एकाउण्ट विभाग में कार्यरत है। फ़ैक्ट्री वर्ष 2004 में शुरू होना बताई है और उसने यह भी कहा है कि वह स्टेटमेन्ट कम्प्यूटर के माध्यम से निकालता है। चूंकि कंपनी की ओर से वाद प्रस्तुत है और किसी भी कंपनी में कर्मचारी अधिकारियों का सेवा में रहना, और सेवा से किन्हीं कारणों से चले जाना और कंपनी द्वारा हटा दिये जाने से अधिकारी बदलते रहते हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों को साक्ष्य में आहूत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अभिलेख पर इस बात का खण्डन नहीं है कि वा०सा०-1 के द्वारा उक्त दस्तावेजों पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर बताये हैं उन्हें वह न पहचानता हो। बल्कि वह वादी कंपनी का अधिकारी है। ऐसे में उसे साथी अधिकारियों के हस्ताक्षरों की जानकारी संभव है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति विधिक नहीं मानी जा सकती है।

43. प्र०पी०-3 लगायत 11 तक के दस्तावेजों के अलावा प्र०पी०-12 के रूप में दावा पूर्व दिया गया नोटिस और प्र०पी०-13 उसकी स्पीड पोस्ट की रसीद है और नोटिस और स्पीड पोस्ट की रसीद के संबंध में प्रतिवादी अधिवक्ता का यह कहना है कि प्रतिवादी को कोई नोटिस नहीं मिला और कोई पावती भी उसकी पेश नहीं की गई है जबकि उसे रजिस्टर्ड ए०डी० से भेजना बताया गया है जिसके संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वह सर्वप्रथम तो धन वसूली का वाद प्रस्तुत करने के लिये दावा पूर्व नोटिस जारी करने की अनिवार्यता नहीं है। और पावती रसीद के न होने से यह नहीं माना जाना चाहिए कि नोटिस ही जारी नहीं हुआ क्योंकि डांक की रसीद पेश की गई है।

44. यह सही है कि प्र०पी०-12 के दावा पूर्व जारी नोटिस दिनांक 01.05.09 की पावती रसीद अभिलेख पर नहीं है। किन्तु मामला धन वसूली का है और उत्पन्न बताया गया वाद कारण अंतिम भुगतान दिनांक 04.09.06 के आधार पर बताया गया है। नोटिस दिनांक से वाद कारण उत्पन्न होने का आधार नहीं है। तथा धन वसूली के मामले में म्याद स्पष्ट है। ऐसे में धारा-106 टी०पी०एक्ट के तहत दावा पूर्वनोटिस की अनिवार्यता न होने संबंधी वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क विधि सम्मत है। तथा प्र०पी०-13 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नोटिस प्रतिवादी प्रतिष्ठान के साझेदार विजय गर्ग को भारतीय डांक के माध्यम से स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा गया है। और उसमें दिनांक 02.05.09 को डांक से भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख है। प्र०पी०-13 की रसीद डांक घर की है जिसके सही होने की उपधारणा की जावेगी। इसलिये नोटिस और पावती के संबंध में उठाई गई आपत्ति का भी कोई विधिक मूल्य नहीं है।

45. वा०सा०-1 तलविन्दरसिंह ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी०-3 लगायत 9 के इन्वॉइसों के समव्यवहार और उससे संबंधित स्टेटमेन्ट एवं बिलवाईज आउट स्टेटिंग रिपोर्ट प्र०पी०-11 में प्र०पी०-3 लगायत 9 के आधार पर प्रविष्टियाँ बताई गई हैं जिसके संबंध में वा०सा०-1 के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये अभिसाक्ष्य का समर्थन वादी कंपनी के एकाउण्ट ऑफीसर निर्मल कुमार वा०सा०-2 ने भी अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में किया है जिसके संबंध में वा०सा०-1 की प्रतिपरीक्षा के पैरा-13 में यह स्पष्ट हुआ है कि इन्वॉइस माल भेजने व उससे लेने वाले भुगतान संबंधी होता है। इस बात से उसने इन्कार किया है कि इन्वॉइसों को फ़र्जी रूप से तैयार किया गया है। बल्कि उसने बताया है कि इन्वॉइस से संबंधित जानकारी एकाउण्ट विभाग में रहती है और प्र०पी०-3 लगायत 9 कम्प्यूटाईज्ड है। उन पर जी०आर० नंबर और दिनांक ट्रान्स्पोर्टर डालता है। पैरा-14 में उसने स्वीकार किया है कि प्र०पी०-3, 8 व 9 के माल प्राप्ति के बाबत प्रतिवादी के हस्ताक्षर व सील नहीं हैं।

और ट्रान्सपोर्टर के हस्ताक्षर नहीं है जिसके बाबत उसका कहना है कि ट्रान्सपोर्टर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं और सभी इन्वॉइस के माल को कौन ड्रायवर लेकर गया, उसके नाम का उल्लेख इन्वॉइस में नहीं है। गाडी का नंबर इन्वॉइस में रहता है जिससे माल भेजा जाता है और उसका इन्द्राज है। तथा ट्रान्सपोर्ट कंपनी के नाम का इन्वॉइस में उल्लेख है। ट्रान्सपोर्ट कंपनी के मालिक के नाम की जानकारी कंपनी के ट्रान्सपोर्ट विभाग में रहती है। उसे यह जानकारी नहीं है कि कौन कौन से इन्वॉइस के रुपये प्रतिवादी ने अदा नहीं किये हैं। यह जानकारी एकाउण्ट विभाग पर रहना उसने बताया है। यह भी स्वीकार किया है कि जब मूल वाद पेश किया था उस समय इन्वॉइसों का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में संशोधन द्वारा उल्लेख किया गया है। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा किस किस इन्वॉइस की राशि बकाया है जिसकी मांग की गई थी। इसकी जानकारी भी वह एकाउण्ट विभाग में होने की बात बताते हुए पैरा-16 में यह भी कहता है कि प्र०पी०-4 लगायत 7 पर प्राप्ति के हस्ताक्षर उसके सामने नहीं हुए हैं क्योंकि प्रतिवादी की दुकान पर होते हैं और उक्त इन्वॉइसों का माल किस व्यक्ति के द्वारा डिलीवर किया गया, किस व्यक्ति ने प्रतिवादी की ओर से प्राप्त किया, वह यह नहीं बता सकता है।

46. माल प्राप्ति और उसकी पावती के संबंध में प्रतिवादी की ओर से परीक्षित साक्षी विजय गर्ग प्र०सा०-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-15 में यह स्वीकार किया गया है कि वादी कंपनी से जो माल उन्हें सप्लाई किया जाता था वह माल को कभी गोदाम में कभी दुकान पर उतरवाते थे। ज्यादातर माल रात नौ बजे के बाद उतारा जाता था। क्योंकि दिन में ट्रकों की एन्ट्री बाजार में बंद रहती है। माल उतारते समय उनके प्रतिष्ठान का कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित रहता था। कभी वह रहता था कभी उसका भतीजा रहता था और जो व्यक्ति उपस्थित रहता था वह माल प्राप्ति के हस्ताक्षर करता था। पैरा-16 में उसने प्र०पी०-7 पर अपने प्रतिष्ठान की सील लगी होना बताते हुए यह कहा है कि यह सील कोई भी बनवा सकता है। मूलतः प्र०सा०-1 ने वादी कंपनी से प्राप्त किये माल का संपूर्ण भुगतान करते हुए अंतिम भुगतान दिनांक 04.09.06 को पचास हजार रुपये का करना बताते हुए यह कहा है कि उसके बाद कोई भी राशि उनके प्रतिष्ठान पर अवशेष नहीं है। और न ही उन्होंने कोई माल उसके बाद लिया है।

47. इस प्रकार से वादी कंपनी द्वारा जो माल सप्लाई किया गया वह प्रतिवादी के प्रतिष्ठान पर उसकी सुविधा अनुसार कभी दुकान पर किया, कभी गोदाम पर प्राप्त किया। प्राप्ति के हस्ताक्षर के बारे में तो खण्डन साक्ष्य प्रतिवादी ही सक्षमता से दे सकता है जिसकी ओर से दिनांक 04.09.06 के बाद कोई समव्यवहार न होने की बात कही गई है। वादी के अभिवचनों, दस्तावेजों और साक्ष्य को देखा जाये तो वादी व प्रतिवादी के मध्य अंतिम समव्यवहार दिनांक 25.02.05 को हुआ है क्योंकि तभी तक के इन्वॉइसों को पेश करते हुए उनकी राशि अवशेष बताई हैं और प्रतिवादी से हुए वादी कंपनी के समव्यवहार का पूर्ण स्टेटमेन्ट प्र०पी०-10 के रूप में 12 पृष्ठों में पेश हुआ है। जिससे वादी और प्रतिवादी का समव्यवहार दिनांक 16.08.99 से प्रारंभ होकर दिनांक 13.09.06 तक का है। दिनांक 30.03.07 को क्लोजिंग बैलेन्स दावे में बकाया वांछित राशि 782164/-रुपये बताया गया है जिसका बिल वॉर्ज आउटस्टेण्डिंग रिपोर्ट प्र०पी०-11 के रूप में पेश की गई है। ऐसे में माल प्राप्त न होने के खण्डनस्वरूप तो साक्ष्य प्रतिवादी दे सकता है और प्रतिवादी की साक्ष्य इस तरह की नहीं आई है जिससे इन्वॉइसों के माध्यम से सप्लाई किये गये माल को प्रतिवादी प्रतिष्ठान पर प्राप्त न किया गया हो। ऐसे में प्रतिवादी का यह कह देना कि उक्त दस्तावेज फर्जी तौर पर बाद में तैयार कर लिये गये हैं, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

48. जहाँ तक अभिवचनों में इन्वॉइसों के विवरण को मूल दावे में शामिल न करना, बाद में उसे जोड़ना बताया गया है इस संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि वाद लंबन काल का यदि कोई अभिवचन संशोधन के माध्यम से जोड़ा जावे तो न्यायालय के आदेश से जोड़ने पर उनका प्रभाव वाद प्रस्तुति दिनांक से ही माना जाता है। मूल वाद में अवश्य विवरण सभी इन्वॉइसों का नहीं था और वह बाद में जोड़ा गया। किन्तु जो राशि अवशेष बताई गई उसमें कोई अंतर नहीं आया है। और वा०सा-1 व 2 की मौखिक साक्ष्य में इस बिन्दु की पुष्टि हुई है कि वादी कंपनी की मालनपुर स्थित उत्पादन

इकाई के सभी विभाग आपस में एक दूसरे के कम्प्यूटर के माध्यम से जुड़े हुए हैं अर्थात् कम्प्यूटराईज्ड हैं। जैसा कि एकाउण्ट ऑफीसर वा०सा-2 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-11 में बताया है।

49. प्र०पी०-3 लगायत 11 के दस्तावेज कम्प्यूटर से ही निर्गमित बताये गये हैं जिसके संबंध में वैधानिक स्थिति को देखा जाये तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-65 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रभाव में आने के बाद धारा-65-क और 65-ख के रूप में जो प्रावधान जोड़े गये हैं जिसमें इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है। उन प्रावधानों के अंतर्गत भी प्र०पी०-3 लगायत 11 के दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य योग्य हैं तथा वादी की दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन प्रतिवादी द्वारा किसी दस्तावेज के माध्यम से नहीं किया गया है। इसलिये प्रतिवादी विजय गर्ग प्र०सा०-1 का केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि दस्तावेज बाद में कई वर्षों बाद फर्जी रूप से तैयार करके पेश कर दिये गये हैं जबकि वह प्रारंभ से ही और ज्यादातर एटलस साईकिल का क्रिय विक्रय अपने प्रतिष्ठान पर होना तथा वादी कंपनी से साईकिल और उसके पुर्जों का समव्यवहार करना स्वीकार किया गया है। तथा माल आने संबंधी रोकड़वही और लेजर भी संधारित की जाना बताता है। तथा उनके प्रतिष्ठान पर गिरधारी लाल खण्डेलवाल नामक व्यक्ति एकाउण्टेन्ट के पद पर रहते हुए कार्य देखना बताता है किन्तु गिरधारी लाल खण्डेलवाल को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है जिसके जीवित होने की भी बात स्वीकार की गई है। लेजर या रोकड़वही पेश नहीं की गई है। वादी का यह कहना रहा है कि प्रतिवादी ने अपने प्रतिष्ठान का रिकॉर्ड इसी कारण पेश नहीं किया है क्योंकि उसके रिकॉर्ड में जीरो बैलेन्स होने का कोई प्रमाण नहीं है। और प्र०पी०-1 रिकॉर्ड प्रस्ताव पर उपलब्ध होने की संभावना पैरा-12 में भी व्यक्त करता है। ऐसे में वादी की दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन अभिलेख पर नहीं है। कम्प्यूटर निर्गमित दस्तावेज होने से उन पर खण्डन के अभाव में अविश्वास करने का कोई कारण नहीं माना जा सकता है। तथा वा०सा०-1 व 2 पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह पूछे गये प्रश्नों के संबंध में कंपनी के अन्य विभागों पर जानकारी का स्रोत बताते हैं क्योंकि जो जानकारी जिस विभाग से संबंधित होती है उसके संबंध में वही स्थिति स्पष्ट कर सकता है। लेकिन वा०सा-1 व 2 के अभिसाक्ष्य पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे एक सक्षम अधिकारी की हैसियत से साक्ष्य देने आये हैं और अभिलेख के आधार पर साक्ष्य दी है।

50. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि जो सील प्रतिवादी द्वारा बताई गई है ऐसी सीलें 25-25 रुपये में भी बनवाई जा सकती हैं और उनका उपयोग कर सकता है किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं है जिससे वादी कंपनी द्वारा या उसके किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रतिवादी प्रतिष्ठान के नाम की मुद्रा तैयार कराकर उसका दुरुपयोग करते हुए कोई दस्तावेज बनाया गया हो और इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही भी नहीं की गई है जबकि वा०सा०-1 फर्जी इन्वॉइस तैयार करने की जानकारी दावे के प्रस्तुत होने के तीन साल बाद हो जाना बताता है। इस हिसाब से उसे वर्ष 2012 में जानकारी हुई। उसका साक्ष्य एक साल बाद वर्ष 2016 में हुआ अर्थात् वह करीब तीन साल तक इस बिन्दु पर मौन व्रत है। इसलिये प्र०सा०-1 के आधार पर भी खण्डन नहीं माना जा सकता है।

51. जहाँ तक प्रतिवादी की ओर से वा०सा०-1 पर प्रतिपरीक्षा में मूल लेजर न लाने का सुझाव दिया गया है क्योंकि प्र०पी०-3 लगायत 11 के दस्तावेज कम्प्यूटर निर्गमित हैं। ऐसे में साक्ष्य विधान की धारा-65 ख के मुताबिक मूल की आवश्यकता नहीं रह जाती है और उसके पैरा-13 में इन्वॉइसों से संबंधित जानकारी एकाउण्ट विभाग में होना बताया गया है जिसे अन्यथा नहीं लिया जा सकता है। न ही उसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि उसे प्रकरण में तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पर वह संज्ञेय साक्षी नहीं है।

52. वा०सा-1 ने पैरा-15 में कौन कौनसे इन्वॉइसों की राशि प्रतिवादी से प्राप्त नहीं हुई, इसकी जानकारी भी एकाउण्ट विभाग पर होना कही गई है तथा पैरा-18 में इन्वॉइसों की बकाया राशि के संबंध में लेजर का न लाना और प्र०पी०-10 के स्टेटमेन्ट की प्रति उसके द्वारा प्रमाणित न होने की बात बताई गई है। वह भी अनुचित नहीं है। क्योंकि प्र०पी०-10 वादी कंपनी के अधिकृत

व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है। तथा वा0सा0-2 ने प्र0पी0-10 पर तत्कालीन डिप्टी जनरल मैनेजर प्रमेश तिवारी तथा एकाउण्टेन्ट शिशुपाल के हस्ताक्षर बताये हैं। प्र0पी0-11 पर उसने अपने हस्ताक्षर कहे हैं और उसे प्रमाणित किया है। इसलिये वा0सा-1 व 2 पर उसने अपने हस्ताक्षर कहे हैं और उसे प्रमाणित किया है। इसलिये वा0सा-1 व 2 की साक्ष्य को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है। किस दिनांक को अंतिम बार माल सप्लाई हुआ। उसकी जानकारी सेल्स विभाग में होना पैरा-19 में बतायी गई है। उसे भी अन्यथा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से वा0सा0-1 के द्वारा अपने विभाग से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है और सेल्स विभाग से संबंधित जानकारी निर्मल कुमार वा0सा-2 के अभिसाक्ष्य में दी गई है। यह भी सुस्थापित विधि है कि जहाँ मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य होती है वहाँ दस्तावेजी साक्ष्य प्रबल मानी जाती है। जब तक कि उसका खण्डन न हो। और वादी की ओर से प्र0पी0-1 लगायत 11 मुताबिक प्रतिवादी से समव्यवहार संबंधी जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनका खण्डन प्रतिवादी विजय गर्ग प्र0सा0-1 के अभिसाक्ष्य से नहीं होता है। तथा स्टेटमेन्ट को कूटरचित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति अभिलेख पर नहीं है।

53. जहाँ तक वादी प्रतिष्ठान के बंद होने की समयावधि के संबंध में वा0सा-1 व 2 के अभिसाक्ष्य में भिन्नता आई है वह प्रकरण के लिये तात्विक नहीं है। क्योंकि दिनांक 25.02.05 का अंतिम समव्यवहार बताया गया है। और उस समय वादी कंपनी का प्रतिष्ठान संचालित होना आया है। प्र0पी0-10 में ऐसा कोई उल्लेख न होना कि वह लेजर की सत्य प्रतिलिपि है, उससे भी कोई अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि वा0सा0-2 के अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से सभी विभाग कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े होने की साक्ष्य दी गई है तथा उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्र0पी0-11 से संबंधित मूल लेजर इसलिये नहीं लाया जा सकता है क्योंकि वह कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क में होता है। और मुकदमे के तथ्यों की जानकारी होना बताते हुए यह अवश्य स्वीकार करता है कि दावा दिनांक 03.09.09 को तैयार हुआ था और न्यायालय में दिनांक 04.09.09 को पेश हुआ। इससे भी कोई अन्यथा निष्कर्ष वादी के विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता है। क्योंकि उसके संबंध में ऊपर विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है। वा0सा0-2 के द्वारा पैरा-13 में यह कहा है कि उसे मौखिक रूप से यह याद नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा किस किस माल का किस किस दिनांक को कितना कितना रुपया वादी कंपनी में जमा किया गया। यह कहा है कि एकाउण्ट में रुपया जमा हुआ होगा तो विवरण होगा। उसने यह प्रक्रिया स्वीकार की है कि पहले से जो राशि बकाया रहती है, पैसे आने पर उसमें से उसे एडजस्ट किया जाता है।

54. पैरा-14 में वा0सा0-2 ने अंतिम बार दिनांक 25.02.05 को प्रतिवादी को माल सप्लाई होना उसने बताया है। उसे यह जानकारी नहीं है कि दावे के प्राथमिक इन्वॉइसों के क्रमांक दिनांक और राशि का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। लेकिन उनके संबंध में वर्तमान में जानकारी होना वह बताते हुए पैरा-14 में यह स्वीकार करता है कि पूर्व में जो माल सप्लाई किया गया उसका भुगतान किया गया। आंशिक भुगतान भी होता रहता है और दिनांक 04.09.06 को अंतिम भुगतान के बाद आगे भुगतान न होने से विवाद हुआ था। अंतिम भुगतान 50000/-रुपये का किया गया था और उसका कार्य एकाउण्ट संबंधी रहता है। कितना भुगतान शेष है, इसका सेल्स विभाग को पता रहता है और तत्समय सेल्स विभाग के इन्वार्ज डी0डी0 मित्तल थे इसलिये उसे यह जानकारी नहीं है कि डी0डी0 मित्तल ने प्रतिवादी से अंतिम भुगतान के समय यह लिखकर लिया या दिया कि कितनी राशि बकाया है। इस आधार पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने डी0डी0 मित्तल के साक्ष्य के अभाव में वादी की साक्ष्य अग्राह्य किये जाने का निवेदन किया किन्तु वह अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुए स्वीकार योग्य नहीं है और यदि वास्तव में प्रतिवादी प्रतिष्ठान पर वादी की राशि अवशेष नहीं थी तो उससे संबंधित वह जीरो बैलेन्स का रिकॉर्ड पेश कर सकता था किन्तु प्रतिवादी की ओर से किसी भी प्रकार के दस्तावेज के पेश न किये जाने और समव्यवहार होते रहने व क्रेडिट के आधार पर इन्वॉइसों से होते रहने के खण्डन के अभाव में प्रतिवादी के विरुद्ध ही इस आशय की उपधारणा निर्मित होती है कि उसके द्वारा पूर्ण भुगतान नहीं किया गया अन्यथा वह रिकॉर्ड पेश करता और वादी ने पूर्ण भुगतान

प्राप्त न होने पर अपना रिकॉर्ड पेश किया है। वादी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड वर्तमान में कंपनी के बंद हो जाने से सिविली डिपार्टमेंट में बंद होने की बात पैरा-16 में वा०सा०-2 ने स्वीकार की है। किन्तु वह कम्प्यूटर निर्गमित दस्तावेजों को देखते हुए वादी के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा निर्मित करने को बल नहीं देती है बल्कि अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुए वादी तथा प्रतिवादी के मध्य समव्यवहार उधारी का होते रहने की पुष्टि होती है। तथा दिनांक 25.02.05 तक माल सप्लाई होने की भी पुष्टि होती है। अभिलेख पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि दिनांक 04.09.06 को जो अंतिम भुगतान 50000/-रुपये का प्रतिवादी की ओर से डी०डी० क्रमांक-433555 के द्वारा किया गया था वह संपूर्ण समव्यवहार का अंतिम एवं पूर्ण भुगतान था।

55. इस प्रकार से ऊपरोक्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण से यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादी कंपनी द्वारा प्रतिवादी फर्म को सप्लाई किये गये माल के पेटे दिनांक 04.06.09 को डी०डी०क्र०- 433555 के माध्यम से की गई 50000/-रुपये के भुगतान के ऊपरान्त प्र०पी०-3 लगायत 9 के माध्यम से भेजे गये माल को प्रतिवादी प्रतिष्ठान से प्राप्त किया था और उसके अवशेष की राशि उस पर 782164/- रुपये बकाया है। जिसका उसने भुगतान नहीं किया है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 वादी के पक्ष में निर्णीत कर प्रमाणित ठहराया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-2, 5 व 6 का निराकरण

ऊपरोक्त तीनों वादप्रश्न सहायता संबंधी होने से उनका एक साथ विश्लेषण व निराकरण किया जा रहा है ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

56. वादी द्वारा वादप्रश्न के अभिवचनों के अनुसार प्रतिवादी फर्म /प्रतिष्ठान पर अवशेष राशि 7,42,164/-रुपये और उसपर पर वाद प्रस्तुति दिनांक से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की सहायता चाही है, जबकि प्रतिवादी की ओर से उसके विरुद्ध वादी कंपनी द्वारा उक्त वाद परेशान करने की नीयत से पेश किए जाने और कोई राशि अवशेष न होने का अभिवचन करते हुए पांच हजार रुपये विशेष क्षतिपूर्ति दावा खारिज करते हुए दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है जिसके संबंध में ब्याज बाबत वादी साक्षियों तलविन्दर सिंह वा.सा.-1 व निर्मल कुमार शर्मा वा.सा.-2 ने अपनी अभिसाक्ष्य में ब्याज संबंधी कोई तथ्य नहीं बताये हैं। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य में पैरा-8 में वाद परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किए जाने के कारण विशेष हर्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की है। ब्याज के संबंध में उभयपक्ष की साक्ष्य में प्रतिपरीक्षा में भी कोई तथ्य नहीं आये हैं। मूल वाद प्रदर्श पी.-3 लगायत पी.-9 के इनवॉइसों के माल की अवशेष राशि की वसूली हेतु मूलतः पेश किया गया है और वादप्रश्न क्र.-1 वादी के पक्ष में निर्णीत हुआ है तथा वाद सक्षम व्यक्ति के द्वारा वादी कंपनी की ओर से प्रस्तुत किया जाना न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार के भीतर होना और समयावधि के भीतर होना ऊपर वर्णित विश्लेषण मुताबिक पाया जा चुका है जिससे यह निष्कर्षित हो चुका है कि वादी कंपनी का प्रतिवादी फर्म पर अंतिम भुगतान दि०-4/6/2009 की डी.डी.क्र०-433555 से 50,000/-रुपये होने के पश्चात 7,42,164/-रुपये अवशेष निकलता है जो वादी कंपनी प्रतिवादी फर्म से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। जिन इनवॉइसों के माध्यम से संव्यवहार हुआ है उनमें ब्याज की कोई शर्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी वाद प्रस्तुति दिनांक से 18 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने की पात्र होना तो नहीं पायी जाती है किन्तु व्यवसायिक संव्यवहार का मामला और प्रतिवादी फर्म के द्वारा पूर्णतः इंकारी की गयी थी। ऐसे में धारा-34 सी.पी.सी. 1908 के प्रावधान अनुसार 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अवशेष राशि पर वाद संस्थित किए जाने की दिनांक से पूर्ण अदायगी तक दिलाया जाना उचित व न्यायसंगत पाया जाता है। और प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे वाद परेशान करने की नीयत से पेश किया गया हो, क्योंकि संव्यवहार प्रमाणित है इसलिये वादी से प्रतिवादी कोई विशेष हर्जा किसी भी प्रकार से पाने का पात्र नहीं है। अतः वादप्रश्न क्रमांक-02 वादी के पक्ष में आंशिक रूप से प्रमाणित निर्णीत किया जाता है और वादप्रश्न क्र०-5 वादी के पक्ष में

निर्णीत कर 'अप्रमाणित' ठहराया जाता है क्योंकि उसके प्रमाण का भार प्रतिवादी पर था जो कि प्रमाणित नहीं हुआ है और वाद संव्यवहार के प्रमाणित होने से डिक्री योग्य है । अतः वादी का वाद मूल अवशेष राशि 7,42,164/-रुपये और उसपर 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज वाद प्रस्तुति दिनांक से प्रतिवादी द्वारा भुगतान किए जाने के संबंध में आंशिक रूप से प्रमाणित निर्णीत कर वादप्रश्न क्रमांक-06 के निष्कर्ष में आंशिक प्रमाणित अंकित करते हुए वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञापित किया जाकर डिक्री किया जाता है :-

अ- प्रतिवादी फर्म को आदेशित किया जाता है कि वह वादी कंपनी को माल सप्लाई की बकाया राशि **7,42,164/-रुपये (सात लाख बियालीस हजार एक सौ चौसठ रुपये)** एवं उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक-04/09/2009 से पूर्ण अदायगी तक 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज उक्त राशि पर जोड़ते हुए दो माह के भीतर भुगतान कर रसीद प्राप्त करे । अन्यथा वादी कंपनी वैधानिक निष्पादन कार्यवाही कर उक्त राशि मय ब्याज वसूल कर सकेगी ।

ब- प्रतिवादी फर्म अपने प्रकरण व्यय के साथ साथ वादी कंपनी का वादव्यय भी वहन करेगी, जिसमें जिसमें अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार या प्रमाणित होने पर होने पर जो भी कम हो जोड़ी जावे ।

तदनुसार डिक्री बनायी जावे ।

दिनांक : **22 मार्च 2016**

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)